I draw the attention of the Minister for Agriculture and the Minister for Rural Reconstruction towards this drought condition and request them to give adequate financial support to the Government of West Bengal, so that they can cope with the situation.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri N.K. Shejwalkar.

SHRI N.K. SHEJWALKAR (Gwalior) : Before I read the statement I want to make a submission.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Those who are not present will be called again.

SHRI N.K. SHEJWALKAR : There is a reason why they are not present. That is because the Calling Attention has been postponed.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am going to call them again.

SHRI N.K. SHEJWALKAR : That is exactly my objection. Please do not create a precedent. Later on, somebody who is not present when his name is called, will expect to be called again. Please do not create a precedent.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am fixing the time today because of the change in the agenda.

SHRI N.K. SHEJWALKAR : That is what I am saying. Please do not make it a precedent.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have fixed the time as 2 P.M. But this should not be treated as a precedent.

(iv) Need for representation of Madhya Pradesh on Board proposed to be Constituted for considering places for shifting some offices from Delhi.

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 4-5 वर्ष पूर्व दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी एवं सुरक्षा की दृष्टि से यह विचार किया गया कि कुछ कार्यालय ऐसे स्थान पर ले जाए जांय जहां कि विदेशी हमलों का खतरा कम हो, साथ ही दिल्ली से ठीक प्रकार से सम्पर्क बना रहे, स्थान भी ऐसा हो कि जहां जमीन का मूल्य कम हो, एवं अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हों। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए उस समय ग्वालियर ही पूर्ण रूप से उपर्युक्त स्थान समझा गया था, उस की दूरी दिल्ली से केवल 300 किलोमीटर है, रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। टेलीफोन आदि की सीधी लाइन है और साथ ही उपयुक्त आवश्यक सुविधाएं वहां प्राप्त हैं। सीमा से भी पर्याप्त दूरी है और इसी बात की पूरी जांच करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने विशेष धनराशि स्वीकृत करके जांच कराई और प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सम्भवत: इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन को अपना प्रतिवेदन भी दिया। ग्वालियर के संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व आवास, निर्माण और संसदीय कार्य मंत्री से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया कि सारी बातों पर विचार होगा। परन्तु पता चला है कि इस सम्बद्ध में जो अब विचार हो रहा है उसमें ग्वालियर का विचार नहीं किया जा रहा है। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विचार करने के लिए यदि कोई बोर्ड बनाया जा रहा है तो उसमें मध्य प्रदेश का भी प्रतिनिधि सम्मिलित हो, यह मेरा निवेदन है। मेरा शासन से आग्रह है कि कोई भी निर्णय मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर ही किया जाय और समस्त संबन्धितों को इस सम्बन्ध में अपनी बात रखने का उचित अवसर दिया जाय।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Dr. Subramaniam Swamy. Not present. Dr. Karan Singh.